

3471/09

73



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कागज़ - 237
प्लान - 6 क

A 061156



सामान्य संपत्ति
इलाही बाग़ में
237 हाथों 25/03/13
प्लान 6 क अ. 10/11
दुर्गाबाग़, विरा

248



Exa-1

किस्म दस्तावेज

:- विक्रय विलेख

स्टाम्प

:- 1,35,000/-रु०

भूमि मूल्यांकन पेज नं० 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं० 1049 जो भाग 2 (ख) 21/06/13

(I) अर्द्धनगरीय क्षेत्र पर स्थित है सामान्य भूमि प्रस्तावित दर 8,00,000/-रु०

प्रतिहेक्टर से भूमि की मालियत 9,64,000/-रु० है उक्त भूमिधरी में दूसरे कुँए

से सिंचाई होती है हकूक आवपासी की मालियत 6,000/-रु० है इस प्रकार कुल

मालियत 9,70,000/-रु० है विक्रय मूल्य 19,28,000/-रु० है इसलिए स्टाम्प

शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है।

रामकिशन

Rajesh Bansal



30 कोषागार, सीसी

25-07-09

नाम 2nd F.C. 510 The ...
पता 5th ...

202.1
वर्ग ...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 061157

(2)

1. भूमि का प्रकार :- कृषि भूमि
2. ग्राम :- ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी
3. सम्पत्ति का विवरण :- कुल विक्रयशुदा रकवा 1.205 है०
4. मापन की इकाई :- हैक्टेयर
5. सड़क की स्थिति :- झाँसी ललितपुर मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूर है आबादी से डेढ़ किलोमीटर से अधिक दूर है किसी भी सर्वरुतु मार्ग पर स्थित नहीं है।
6. प्रतिकल की राशि :- 19,28,000/-रु० में से 14,28,000/-रु० नगद व 5,00,000/-रु० जरिये चैक नं० 338016 एच० डी० एफ० सी० बैंक झाँसी दिनांक 20.07.2009 ई० को विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिया है।

- शक्तिधर



Kajal Bansal



उप कोषागार, झोंसी
नम्बर 51.55 दिनांक 25.07

कम्य 5 मी 12 31.12 2009 को 5 मी 12 31.12 2009
पता 5 मी 12 31.12 2009 को 5 मी 12 31.12 2009
2-2.5 वर रोडिया बाई



विक्रय पत्र 1,928,000.00/ 1,928,000.00 5,000.00 20 5,020.00 700
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती राजेश बंसल वहेसियत प्रतिनिधि इमामी स्टेट
पुत्र / पत्नी श्री ओ पी बंसल
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी 97ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता
अस्थायी पता 808 ग्वालियर रोड झोंसी
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 20/7/2009 समय 3:51PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



राजनाथ राम
उप निबन्धक द्वितीय
झोंसी
20/7/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती रामकिशुन
पुत्र/पत्नी श्री अजुददी
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम खैलार तह व जिला झोंसी



क्रेता
श्री/श्रीमती राजेश बंसल वहेसियत प्रतिनिधि इमामी स्टेट
पुत्र/पत्नी श्री ओ पी बंसल
पेशा व्यापार
निवासी 97ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता



ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री जय प्रकाश साहू
पुत्र श्री रामकिशुन साहू
पेशा अन्य

निवासी ग्राम व पो खैलार तह व जिला झोंसी
व श्री मनीराम
पुत्र श्री रामसेवक
पेशा कृषि
निवासी ग्राम व पो खैलार तह व जिला झोंसी
ने की।



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

राजनाथ राम
उप निबन्धक द्वितीय
झोंसी
20/7/2009

20/7/2009
Rajesh Bansal
उप निबन्धक द्वितीय
झोंसी



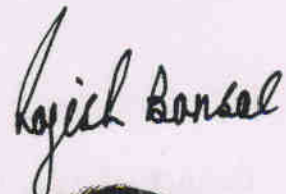
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 061158

(3)

- 7 :- प्रथम पक्ष की संख्या :- एक
8. द्वितीय पक्ष की संख्या :- एक
9. नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण):- श्री रामकिशुन तनय श्री अजुददी निवासी खैलार परगना व तहसील झाँसी
10. नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण) :- इमामी स्टेट प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97-ए सदरन ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (पेन कार्ड नम्बर AABCE 8031 D) यह विक्रय आज दिनांक 20.07.2009 ई0 को श्री रामकिशुन तनय श्री अजुददी निवासी खैलार परगना व तहसील झाँसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा इमामी स्टेट प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97-ए सदरन ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया गया है।




उप कोषागार, झांसी

क्रमांक 5766 दिनांक 25-04

काम 5766 नं. 12 उप कोषागार झांसी 9/11/2009 को 10:30 बजे कोषागार
वता 5766 नं. 12 उप कोषागार झांसी 9/11/2009 को 10:30 बजे कोषागार

व्यक्ति 2-25 अथ अधिकारी कोषागार



विक्रेता

Registration No 3471

Year: 2009

Book No



0101 रामकिशुन

अजुददी

ग्राम खेलार तह व जिला झांसी

व्यापार



Handwritten signature.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 061159

(4)

विक्रय सम्पत्ति का विवरण :- उक्त आराजी मौजा खैलार ब्लाक बबीना परगना व तहसील झॉसी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता सं०	आराजी नम्बर	रकबा
00301	2020	0.016 है०
	2021	1.842 है०
	2022	0.125 है०
	2023 / 1	1.036 है०
	2034 / 2 मि.	0.384 है०
	2035 / 2	0.085 है०
	2036	0.652 है०
	2038	0.251 है०
	2039	0.125 है०
	2040 / 2	0.304 है०

कुल 10 किता रकबा 4.820 है० में से 1/4 अपना सम्पूर्ण यानि 1.205 है० वय किया है व भूमिधरी में पेड़ नहीं है भूमिधरी भुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है एवं कृषि भूमि है। उक्त आराजी भूमिधरी का कुल लगान 10/-रु० वार्षिक है। उक्त भूमिधरी पुश्तैनी है।

रामनिशुन

Rajesh Bansal

नाम राजेश बंसल 310 नं. माला 93 नं. 442 धर्म कोमल
 पता 57 ए सदन ऐवेन्यू कोलकाता 700 009
 20-2-2009



क्रेता

Registration No. 3471

Year : 2009

Book No.

0201 राजेश बंसल वहेसियत प्रतिनिधि इमामी स्टेट

ओ पी बंसल

97 ए सदन ऐवेन्यू कोलकाता

व्यापार



[Signature]



राजेश बंसल वहेसियत प्रतिनिधि इमामी स्टेट
 ओ पी बंसल
 97 ए सदन ऐवेन्यू कोलकाता
 व्यापार

2009-2-20

2009-2-20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

777930

(5)

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विध्न, प्रतिबन्ध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेता को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता, क्रेता को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार, जो विक्रेता को प्राप्त थे, वे क्रेता को प्राप्त हो गये हैं।

2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेता को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।

3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेता के पक्ष में करते हुए, सम्पत्ति क्रेता को सौंप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेता अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विध्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगा।

4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

Rajesh Bansal

[illegible][illegible]

2019-2020

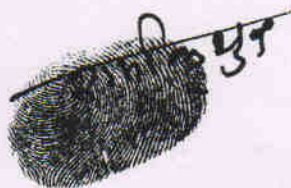


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 342297

(6)

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिलकीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेता को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनों सम्पत्तियों के द्वारा क्रेता वसूल करने के उत्तरदायी होगा। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नहीं होगा।
6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेता द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।
7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते हैं, तब विक्रेता उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवे। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।
8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खेलार तहसील व जिला झाँसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।

 पुन

 Rajesh Bancel

2034
20.6.2022

पुनर्प्राप्ति प्रमाणपत्र

इस प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री
देवेंद्र चोलनाथ जोशी जी राजेश चंदल बाग में
श्री. पी. चंदल से 800 ब्याग पर 200 बाग

जोशी जी

जाहिर अहमद - भाग 10
स्टाम्प वेप्डर तहसील
होली

माहि
कैलाश

605

सपना देवी उपाधी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 342296

(7)

9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।
10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होंगे।
11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेता एवं क्रेता शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेता तथा क्रेता ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणों एवं धाराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ।
- उक्त फर्म ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी एवं खसरा प्रस्तुत है लिहाजा बदरुस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै। दिनांक 30.06.2008 ई0 द्वारा संशोधित दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

राजेश बंसल

Rajesh Bansal

2034

पुनर्प्राप्ति

20.6.22
इसलिए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा है। सदर
टेवेंयु कोलकाता जिले में जो सौंपा है। वंत्तल बांगी
को. जो. वंत्तल सि. 000 वंत्तल बांगी

जिम्मेदार

जाहिर अहमद ला. नं. 452
स्टाम्प वेण्डर वंत्तल
बांगी

653
को. जो. वंत्तल बांगी
को. जो. वंत्तल बांगी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 342295

दिनांक :- 20.07.2009 ई०

प्रारूपकर्ता :- ~~राम काल~~ अहमद बेगम कानवीर त. झांसी

टाईपकर्ता :- सनी कुमार तहसील झांसी रानी कृष्ण

वस्तुतः प्रलेख ~~राम काल~~ का बतयामित विषय
भी/श्रीमती ~~अहमद बेगम~~ का निवासी
निवासी ~~रानी कृष्ण~~
के द्वारा प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर निष्पादक

राजनिधुन

Rajesh Barwal



जवाब :- ~~राम काल~~ साहू

S/O रामकिशुन साहू निवासी खैरवाड़ा गाँव

जवाब :- सनी कुमार S/O राममेवरा
निवासी रानी कृष्ण झांसी

हस्ताक्षर
तहसील
नाम
दिनांक 21.7.2009
सी नं. 528

2036

पुनः प्राप्त २५/११/२०२०

20.6.2020

ब्रान्च स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को फिल्टर ७-८ सय
टेक्नोलॉजी ब्रान्च प्रोडिक्ट की राजेश वंगल ८१० को
श्री. श्री. वंगल सि. ००० ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६

ब्रान्च प्रोडिक्ट

ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६
ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६
ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६

ब्रान्च प्रोडिक्ट

ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६
ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६
ब्रान्च प्रोडिक्ट २०३६



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए
के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/बिक्रेता का नाम श्री रामकिशन 3/6 श्री अजुददी

पता नि. खैला 9/1 व तह. कांजी

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता बिक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रामकिशन

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम श्री राजेश वंसल 3/6 श्री ओ पी वंसल

पता 808 गवाकिया रोड भांजी

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



उक्त प्रपत्र निष्पादित-प्रलेख का अनिवार्य अंग माना/समझा जायेगा

निष्पादक

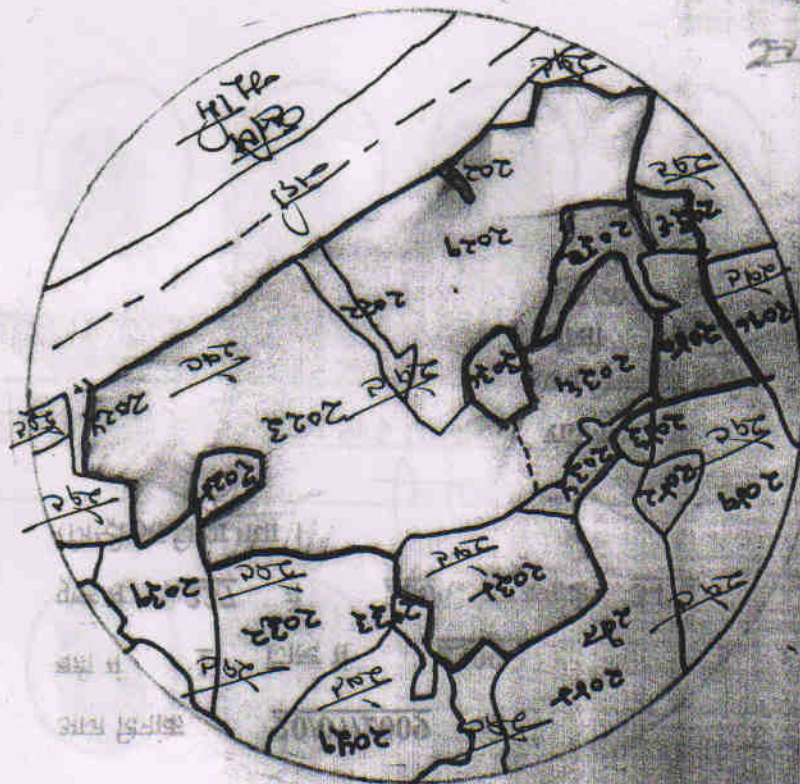
प्रस्तुतकर्ता बिक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक
Rajesh Bansal

30

Kajal Bora

67000000



नवमी, परमा व विना इति । से प्रसिद्ध है ।

— १० —

200 मीटर बिज्या के अनादीत स्थित

५५५-॥६५५॥

नक्शा-नजरी

बिक्रेता का नाम: **श्री राम किशुन**

क्रेता का नाम: **श्री राजेश वंश**

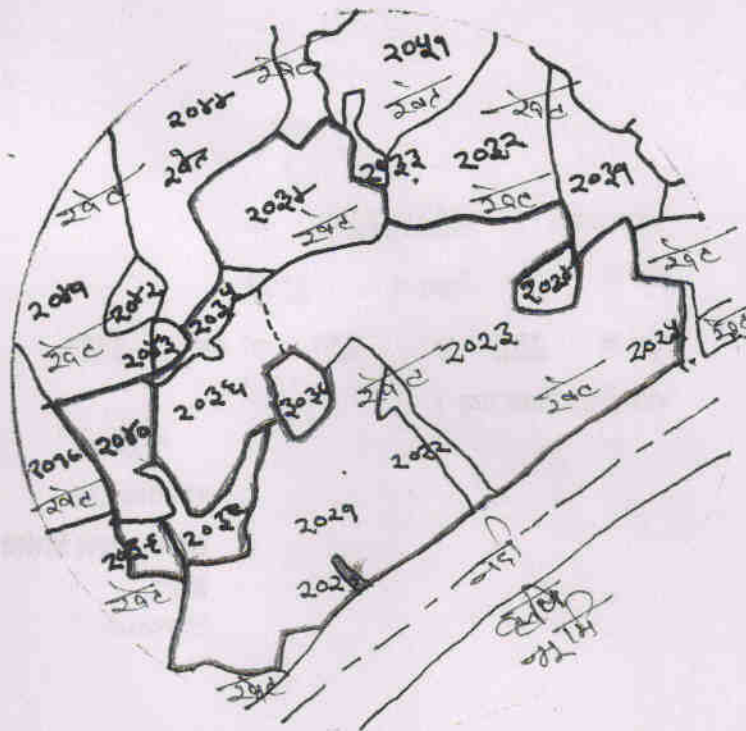
मौजा: **रवेलार**

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर - 2020, 2029, 2022, 2023, 2024/2

2024/2, 2025, 2026, 2027
2028/2

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र
200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लालरंग)
से प्रदर्शित है।



राम किशुन



हस्ताक्षर बिक्रेता

Rajesh Bansal



हस्ताक्षर क्रेता

EE. M. KAMRAN KHAN
APP. BY J.D.A. JHANSI
LICENSE NO. 27
DATE: 27-2-2009

आज दिनांक 20/07/2009 को

वही सं 1 जिल्द सं 2399

पृष्ठ सं 237 से 256 पर क्रमांक 3471

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झाँसी

20/7/2009


District Registrar
Jabalpur

बुक नं - 237

पृष्ठ नं - 25/03/13

पृष्ठ - 65